निदेशालय

महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।

जलेब चौक,जयपुर।
फोन :– 0141–5172309, 0141–5172317, ई–मेल : sso1rajhg@hotmail.com
Website : http://rajasthanhomeguards.gov.in/

क्रमांकः–प.37( ) एचजीएचक्यू/पीएसएएल/2015/ 1633-56 दिनांकः– 14.03.16

समस्त प्रशिक्षण संस्थान
प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी

विषय :–दी राजस्थान प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी प्रशिक्षण संस्थानों में गार्डस एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देने संबंधी सूचना बाबत।

निदेशालय के परिपत्र क्रमांक 2177–98 दिनांक 15.06.2015 एवं स्मरण पत्र क्रमांक 2812–31 दिनांक 30.06.2015 के द्वारा राज्य में संचालित लाईसेन्स होल्डर प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी अपने प्रशिक्षण संस्थानों में सिक्यूरिटी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणर्थियों के संबंध में सूचना चाही गई थी जो अभी तक प्राप्त नही हुई है। उपरोक्त पत्रों की फोटो प्रतियां पुनः संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि सूचना भिजवाने हेतु 15 दिवस का अंतिम अवसर और दिया जाकर सूचित किया जाता है कि, वांछित सूचना आवश्यक रूप से निर्धारित अवधि में डाक द्वारा अथवा विभाग की ई–मेल आई डी **psa.hgcd.rj@nic.in** भिजवाया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा नियंत्रक प्राधिकारी महोदय को अवगत करवाते हुये प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम–2005 के तहत **अनुज्ञप्ति निरस्त करने की** कार्यवाही की जावेगी।

(आर.एस.राणावत)
उप महासमादेष्टा
प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी सैल
गृह रक्षा, मुख्यालय,राजस्थान,
जयपुर।

प्रतिलिपिः– प्रभारी कम्प्यूटर सैल,मुख्यालय,जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय वैबसाई पर अपलोड करें।

उप महासमादेष्टा
प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी सैल
गृह रक्षा, मुख्यालय,राजस्थान,
जयपुर।

निदेशालय

महानिदेशक,गृह रक्षा, राजस्थान

जलेब चौक,जयपुर।
फोन :- 0141-2612591, ,फैक्स : 0141-2612592, ई-मेल : sso1rajhg@hotmail.com
Website : http://rajasthanhomeguards.gov.in/

क्रमांकः- प.37( )/एचजीएचक्यू/पीएसएएल/2015/ 2177-98 दिनांकः 15/6/2015

परिपत्र

विषयः- प्राईवेट सिक्यूरिटी गार्डस एवं पर्यवेक्षकों को राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम- 2006 के अनुरूप प्रशिक्षण बाबतं।

दी राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम- 2006 के अन्तर्गत राज्य में प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सियों को प्रशिक्षण संस्थान चलाये जाने हेतु लाईसेन्स जारी किये गये थे। नियंत्रण प्राधिकारी के ध्यान में आया है कि अधिकांशतया प्रशिक्षण संस्थान चलाये जाने वाली ऐजेन्सियों के द्वारा गार्डस एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम- 2006 के नियम-8 के अनुरुप नही दिया जा रहा है। प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण के स्तर में सुधार की आवश्यकता अनुभव की गई है।

अतः निर्देश दिये जाते है कि गार्डस एवं पर्यवेक्षकों को राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम- 2006 के नियम-8 के अनुरूप ही पूर्ण प्रशिक्षण दिया जावें। प्रशिक्षणर्थियों एवं प्रशिक्षकों की सूचना संलग्न परिशिष्ट "अ" एवं "ब" के अनुसार आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम- 2005 के तहत कार्यवाही अपेक्षित होगी, जिसके आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

(जसवन्त सम्पतराम)
महानिदेशक पुलिस
गृह रक्षा,राजस्थान,जयपुर
एवं नियंत्रक प्राधिकारी
प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी सैल,
राजस्थान,जयपुर।

प्रतिलिपि :- 1. समस्त प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (प्रशिक्षण संस्थान) राजस्थान।
2. प्रभारी कम्प्यूटर सैल,मुख्यालय,जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड किया जावे।

उप महासमादेष्टा
गृह रक्षा, मुख्यालय,
राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ठ "अ"

प्रोफार्मा

प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (प्रशिक्षण संस्थान) नाम...

प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों
से संबंधित गत 5 वर्ष की सूचना

क.सं.	प्रशिक्षणार्थी का नाम/पिता का नाम	पता एवं मोबाईल नम्बर	भूतपूर्व सैनिक/पुलिस कर्मी/प्राईवेट	प्रशिक्षण अवधि दि0 से दि0 तक	दिये गये प्रशिक्षण पाठ्यकम का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5	6

परिशिष्ठ "ब"

सूचना–1 प्रोफार्मा

प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों के संबंध में सूचना

क.सं.	प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों का नाम/पिता का नाम	पता एवं मोबाईल नम्बर	प्रशिक्षकों की शिक्षा एवं अनुभव
1	2	3	4

सूचना–2 प्रोफार्मा

गत 5 वर्ष के दौरान प्रति माह जारी
किये गये प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की संख्या की सूचना

क.सं.	प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जारी करने का माह	जारी किये गये प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की संख्या			
		7 दिवस अवधि के	20 दिवस अवधि के	अन्य कोई अवधि के हो तो	कुल
1	2	3	4	5	6

निदेशालय
महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान

जलेब चौक, जयपुर।
फोन :– 0141–2612591, फैक्स : 0141–2612592, ई–मेल : sso1rajhg@hotmail.com
Website : http://rajasthanhomeguards.gov.in/

क्रमांकः– प.37( )/एचजीएचक्यू/पीएसएएल/2015/ 2812-31 दिनांकः 30/6/2015

....
संलग्न सूची अनुसार.......................................
....
....
....

विषयः– प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी प्रशिक्षण संस्थानों में गार्डस एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देने संबंधी सूचना बाबत।

निदेशालय के परिपत्र क्रमांक 2177–98 दिनांक 15.06.2015 के द्वारा राज्य में संचालित लाईसेन्स होल्डर प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी प्रशिक्षण संस्थानों से गार्डस एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण, राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम– 2006 के नियम–8 के अनुरूप दिये जाने एवं संलग्न भिजवाये गये प्रपत्र "अ" एवं "ब" के अनुसार प्रशिक्षणर्थियों एवं प्रशिक्षकों की सूचना चाही गई थी जो अभी तक प्राप्त नही हुई।

अतः चाही गई सूचना की सी.डी. मय हार्ड कॉपी तथा दिये जा रहे प्रशिक्षण के लगभग ½ धंटे की वीडियोग्राफी की जाकर सी.डी. में 15 दिवस के अन्दर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम– 2005 के तहत कार्यवाही की जाकर अनुज्ञाप्ति पत्र निरस्त किया जाना अपेक्षित होगा।

(आर.एस.राणावत)
उप महासमादेष्टा
प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी सैल,
गृह रक्षा, मुख्यालय, राजस्थान,
जयपुर।

प्रतिलिपि :– 1. समस्त प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (प्रशिक्षण संस्थान) राजस्थान।
2. प्रभारी कम्प्यूटर सैल, मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करें।

उप महासमादेष्टा
प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी सैल,
गृह रक्षा, मुख्यालय, राजस्थान,
जयपुर।